कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

——

क्रमांक / 1221 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 24.05.2002

प्रति,

समस्त उप पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषयः—स्टाम्प प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

———

स्टाम्प प्रकरणों के निराकरण में कमी के कारण लंबित स्टाम्प प्रकरणों की संख्या में निन्तर बढ़ोतरी होती चली जा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः प्रत्येक जिला पंजीयक / कलेक्टर आफ स्टाम्प के लिए स्टाम्प प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्नानुसार मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है —

जिला पंजीयक कार्यालय			मासिक निराकरण लक्ष्य
1.	जहां तक लंबित स्टाम्प प्रकरण 500 या 500 से कम हों	:	50 प्रकरण प्रतिमाह
2.	जहां लंबित स्टाम्प प्रकरणों की संख्या 500 से अधिक हो, किंतु 1500 से अधिक न हो।	:	75 प्रकरण प्रतिमाह
3.	जहां लंबित स्टाम्प प्रकरणों की संख्या 1500 से अधिक हो, किंतु 2500 से अधिक न हो।	:	100 प्रकरण प्रतिमाह
4.	जहां लंबित स्टाम्प प्रकरणों की संख्या 2500 से अधिक हो	:	125 प्रकरण प्रतिमाह

आपके द्वारा निराकृत स्टाम्प प्रकरणों के संबंध में संलग्न प्रपत्रानुसार प्रमाण पत्र प्रतिमाह इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार प्रपत्र।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक / 222 / तक / एक / 2002 भोपाल, दिनांक 24.05.2002

प्रतिलिपि —

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश